भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5708
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्लास्टिक पार्कों की स्थापना संबंधी योजना

5708. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:
डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना संबंधी योजना के अंतर्गत कितने प्लास्टिक पार्क अनुमोदित किए गए हैं और कितने कार्यशील हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के लिए कुल कितनी निधि आवंटित की गई है और उपयोग में लाई गई है;

(ग) क्या सरकार की आन्ध्र प्रदेश सहित प्लास्टिक विनिर्माण की अत्यधिक संभावना वाले राज्यों में नए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है;

(घ) सरकार द्वारा इन प्लास्टिक पार्कों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या इन पार्कों में पर्यावरणीय रूप से सतत् प्लास्टिक विनिर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख) अब तक विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। पिछले पांच वर्षों में विभिन्न प्लास्टिक पार्कों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) वर्तमान में, किसी नए प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ उन्हें औद्योगिक इकाइयों से आबाद करने की प्रक्रिया काफी हद तक राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन इकाइयों पर निर्भर करती है। संबंधित राज्यों ने इन प्लास्टिक पार्कों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें

उद्योग के लिए जागरूकता और अभिप्रेरण वाले कार्यक्रम आयोजित करना, प्रतिस्पर्धी दरों पर भूखंड उपलब्ध कराना, कर प्रोत्साहन देना आदि शामिल हैं।

(ङ) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की योजना से आवश्यक अवसंरचना एवं समर्थकारी सामान्य सुविधाओं के साथ आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को बढ़ावा मिलता है। इसका उद्देश्य डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित व समन्वित करना है ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी सहायता मिल सके। इस योजना के तहत, औद्योगिक इकाइयों के लिए सामान्य अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है जिसमें अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस/खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक पुनर्चक्रण, भट्टी (इन्सिनरेटर) आदि सुविधाएं शामिल हैं। कुछ प्लास्टिक पार्कों में प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण के लिए इन-हाउस रीसाइक्लिंग शेड भी स्थापित किए गए हैं।

अनुलग्नक- I

क्रम संख्या	प्लास्टिक पार्क	अनुमोदन का वर्ष	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रूपये में)	जारी की गई राशि (करोड़ रु.)	2019-20 से जारी धनराशि (करोड़ रु.)
1.	तामोट, मध्य प्रदेश	2013	108.00	40.00	36.00	3.10
2.	जगतसिंहपुर, ओडिशा	2013	106.78	40.00	36.00	6.12
3.	तिनसुकिया, असम	2014	93.65	40.00	35.73	13.73
4.	बिलौआ, मध्य प्रदेश	2018	68.72	34.36	30.92	28.92
5.	देवघर, झारखंड	2018	67.33	33.67	30.30	28.30
6.	तिरुवल्लूर, तमिलनाडु	2019	216.92	40.00	22.00	14.00
7.	सितारगंज, उत्तराखंड	2020	67.73	33.93	30.51	30.51
8.	रायपुर, छत्तीसगढ	2021	42.09	21.04	11.57	11.57
9.	गंजीमट्ट, कर्नाटक	2022	62.77	31.38	6.28	6.28
10.	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।	2022	69.58	34.79	19.13	19.13

*****